



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272078
CG-DL-E-25042026-272078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1994]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2067(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या S.O. 502(E) दिनांक 3 फरवरी, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना:-

उक्त अधिसूचना संख्या का.आ.502(अ), दिनांक 3 फरवरी 2026 के पैराग्राफ 2 में "द हिंदू" शब्दों के स्थान पर "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. RW/NH-37011/6/99-US (D-I)/3D/Corri.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2067(E).— In the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of

India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 502(E) dated 3rd February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), namely the preamble of the said Notification: -

In the Notification S.O. 502(E) dated 03.02.2026 for the words in Paragraph 2 “The Hindu” the words “The New Indian Express” shall be substituted.

[F. No. RW/NH-37011/6/99-US (D-I)/3D/Corri.]

SHAIKH AMINKHAN, Director